न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–02)केकड़ी
राष्ट्रीय लोक अदालत–2022 मुकाम भिनाय
प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./24/2019

1. मन्दिर श्री गोपाल द्वारा जरिये पुजारी रमेश पुत्र भगवती प्रसाद वैष्णव जाति साधू निवास भिनाय तहसील भिनाय अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. जाह्नवी देवी पत्नी नरेन्द्र सिंह राजपुत जाति राजपूत निवासी भिनाय(भिनाय गढ़/बड़ा बाग) तहसील भिनाय अजमेर हाल मुकाम भिनाय हाउस आर्दष नगर अन्धों की स्कुल के सामने अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील अप्रार्थी– रमेश वैष्णव
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 13.08.2022

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा भिनाय पटवार क्षेत्र भिनाय भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 864 में दर्ज ख0न. 2607 रकबा 0.23 कुल किता 01 कुल रकबा 0.23 है0** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं0 01 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 02 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 01 की ओर से वकील श्री रमेशचन्द्र मेघवंशी द्वारा पत्रावली में अण्डर टेकिंग ली गई परन्तु इसके उपरान्त ना तो वकालतनामा पेश किया गया और ना ही जवाब पेश किया गया। अतः अप्रार्थीगण सं0 01 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत कर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी विवरण राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बताया तथा पुजारी होने का साक्ष्य भार स्वयं प्रार्थी पर होना बताया। वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी विवरण राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बताया तथा पुजारी होने का साक्ष्य भार स्वयं प्रार्थी पर होना बताया।

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत–2022 के तहत पेश हुआ। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। उपस्थित [illegible] पत्रावली में वर्णित तथ्यों तथा राजस्व रिकॉर्ड बाबत् संलग्न [illegible] किया। राजस्व रिकॉर्ड बाबत् संलग्न जमाबन्दीयों एवं वकील [illegible] नजीर के अव[illegible] एवं मनन उपरान्त बैंच सदस्यों द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते [illegible]थरगढी का न्यायो[illegible] होना पाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:31:25 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला-अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner

२५।१।२१

गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा भिनाय पटवार क्षेत्र भिनाय भू०अ०नि० क्षेत्र भिनाय के खाता सं० 864 में दर्ज खा०न० 2807 रकबा 0.23 कुल किता 01 कुल रकबा 0.23 है०प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू-अभिलेख निरीक्षक भिनाय को राष्ट्रीय लोक अदालत की मंशानुरूप निःशुल्क मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को बैंच सदस्यों द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास लोक अदालत में सुनाया गया।

(कविता राणावत)
अध्यक्ष
रा० लोक अदालत
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला-अजमेर

(प्रभात त्रिपाठी)
सदस्य
रा० लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:51:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner